न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/73/2017	04—05—2017	10—05—2018

01— मोहर खां पुत्र सुलेमान जाति मेव निवासी ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर

—: अपीलाण्ट

बनाम

01— तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर।

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ
दिनांक 10.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 133/2017

उपस्थितः—

01—श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 10.03.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम ढाढोली की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 307 रकबा 0.30 है0 में से 0.30 है0, 306 रकबा 0.70 है0 मे से 0.20 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में निवेदन किया है कि ग्राम ढाढोली की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 307 रकबा 0.30 है0 में से 0.30 है0, 306 रकबा 0.70 है0 मे से 0.20 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 20.01.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के आदेश दिये गये तथा लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को एफ0आई0आर0 व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 10.03.2017 के विरूद्ध दिनांक 04.05.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण साबित होता है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 03.05.2017 में कब्जा छोडना बताया गया है,, जबकि तहसीलदार रामगढ़ द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व कब्जा नही छोडने पर थाना रामगढ़ में एफ0आई0आर0 नं0 0501 दिनांक 24.10.2017 दर्ज कराई गई है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति पुलिस अधिक्षक अलवर को एफ0आई0आर0 नं0 0501 दिनांक 24.10.2017 में थानाधिकारी रामगढ से कार्यवाही करवाने हेतु भिजवाई जावे एवं निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10—05—2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)